न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 64 / 2025

श्री आशीष कुमार जैन निवासी सीतल की टेक वार्ड नं.12 उनियारा जिला टोंक
--अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 28.08.2025**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को दिनांक 07.04.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :-

1. सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायत के जवाब में यह बताया गया है कि विभाग द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है और अतिक्रमण का निस्तारण करवा दिया गया है कृपया उक्त सभी नोटिसों की प्रति उपलब्ध करवाने का श्रम करावे ।
2. यदि नोटिस जारी किये गये है तो कार्यवाही नही किये जाने का कारण स्पष्ट करावे।
3. अतिक्रमण नहीं हटाने का क्या कारण है कृपया अवगत कराने का श्रम करावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 1351 दिनांक 21.07.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 724 दिनांक 30.07.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सम्पर्क पोर्टल कलेक्ट्रेट टोंक से होने से उनके पत्र कमांक 705 दिनांक 17.07.2025 से अन्तरित करते हुए पत्र कमांक 706 दिनांक 17.07.2025 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सम्पर्क पोर्टल कलेक्ट्रेट टोंक को पत्र कमांक 1480 दिनांक 31.07.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सम्पर्क पोर्टल कलेक्ट्रेट टोंक ने पत्र कमांक 8030 दिनांक 05.08.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत के संबंध में प्रार्थी को पत्र कमांक 8014 दिनांक 31.07.2025 से सूचित किया गया है और अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध लोक सूचना अधिकारी एंव अधिशासी अधिकारी नगर पालिका उनियारा से होने से उनके पत्र कमांक 8023 दिनांक 04.08.2025 से प्रार्थना पत्र अन्तरित किया गया है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका

695

जिला कलेक्टर
टोंक

उनियारा के प्रथम अपीलेट अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अपीलान्ट अधिशासी अधिकारी नगर पालिका उनियारा के प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक, लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सम्पर्क पोर्टल कलेक्ट्रेट टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक